



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225951
CG-DL-E-17032021-225951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1136]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 1136]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

का. आ. 1224(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4527(अ) तारीख 08 दिसम्बर 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख तारीख 14 दिसम्बर 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में नाचना से पचपदरा रिफाइनरी तक पानी के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 21 दिसम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील : पोकरण			जिला : जैसलमेर		राज्य : राजस्थान
1	चांदसर	29	00	08	82
		30 / 135	00	16	85
		30	00	00	40
		85(सरकारी भूमि)	00	08	88
		94 / 125 (सरकारी भूमि)	00	01	80
2	नयानवतला	5	00	02	82
		714 / 5	00	00	60
		670 / 5	00	01	50
		724 / 5	00	09	57
		6	00	69	92
		704 / 6	00	82	13
		ख.नं. 704 / 6 में (सरकारी सड़क)	00	02	79
		725 / 7	00	00	40
		705 / 7	00	57	64
		272 / 7	00	99	78
3	बरड़ाना	14	00	02	49
		167 / 35	00	41	08
		75 (सरकारी भूमि)	00	07	66
4	पदमसागर	78 (सरकारी भूमि)	00	94	36
		ख.नं. 78 में (सरकारी सड़क)	00	07	48
		208 / 78	00	05	26
		264 / 78	01	58	94
		234 / 78	00	01	52
5	मालकां	93 / 61	00	01	00
		61 / 75	00	25	65
6	मावा	6 (सरकारी सड़क)	00	04	91
		9 / 400	00	57	64
		8	00	27	18
		37 / 3	00	03	20
		671 / 38	00	67	40
		672 / 38	00	51	19
		622 / 53	00	15	82
		627 / 53			

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	मावा (जारी...)	623 / 53	00	30	92
		624 / 53	00	35	48
		52 (सरकारी भूमि)	00	21	34
		55 / 502	00	72	41
		55	00	85	97
		227 (सरकारी भूमि)	01	27	79
		226 / 323	01	59	68
		226 / 324	00	91	47
		ख.नं. 226 / 324 और 226 / 325 के बीच में (सरकारी सड़क)	00	01	18
		226 / 325	00	70	69
		277 (सरकारी सड़क)	00	14	57
		669 / 276	00	52	22
		667 / 276	00	02	54
		670 / 276	00	33	01
		276 / 397	00	35	72
		616 / 276	00	35	42
		278	00	22	92
		282	00	21	58
		276	00	01	00
		283	00	63	37
		285 (सरकारी सड़क)	00	01	24
		286 / 1	00	28	74
		286 / 2	00	21	46
		286 / 3	00	31	49
		286 / 4	00	17	37
		288 (सरकारी सड़क)	00	02	71
		287 (सरकारी सड़क)	00	02	07
		289	01	28	95
		289 / 1			
		298 (सरकारी एस.एच.-40)	00	03	97
		261 / 1	00	89	89
		299 / 2	00	34	38
		299 / 589	00	04	92
		300 / 591	00	91	49
		300 / 590	00	11	87

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	मावा (जारी...)	300	00	02	79
7	लोहारकी	262 / 55	00	43	83
		56	00	73	05
		39 / 7	00	25	00
		39 / 1			
		57 (सरकारी भूमि)	02	74	69
		171	00	22	61
		167	00	63	40
		158	03	22	60
		823 / 140	02	48	91
		266 / 140	01	05	49
8	रामदेवरा	564 / 197	06	22	41
		197 / 4	00	24	53
		206 (सरकारी भूमि)	00	33	94
		206 / 285 (सरकारी भूमि)			
9	गोमट	70 (सरकारी भूमि)	00	64	41
		218 / 70	00	10	33
		537 / 70	00	14	06
		126	00	18	89
		125	00	23	23
		201 / 119 (सरकारी भूमि)	00	09	09
		94	00	14	61
		195 / 94			
		113 (सरकारी भूमि)	00	03	97
		95	00	21	36
		196 / 95			
		197 / 98	03	14	09
		98	00	00	60
		98 / 1	00	00	40
		208 / 99	00	10	03
10	पोकरण	12114 / 31	00	89	94
		10516 / 31			
		31	00	01	83
		2140 / 31	00	41	48
		31 / 7	00	97	68

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	पोकरण (जारी...)	1182	00	56	98
		1722 / 1195	00	94	63
		2070 / 1182	00	59	72
		2107 / 1195	00	57	18
		2814 / 1195	00	07	21
		1419 / 1194	00	32	99
		1886 / 1195	01	51	32
		1192 (सरकारी)	00	02	54
		1598 / 1283	00	70	02
		2454 / 1283	00	50	19
		1437 / 1283	00	82	79
		1282 (सरकारी)	01	10	79
		5842 / 1281	00	54	40
		2808 / 1281	00	05	05
		2950 / 1281	01	37	12
		1543 / 1281			
		1679 / 1281	00	64	17
		1626 / 1280	00	70	80
		1929 / 1280	03	00	00
		1930 / 1280			
		1953 / 1280			
		7981 / 1280	00	34	02
11	बिलिया	14 / 100	00	04	00
		14 / 131	00	58	34
		14	00	69	27
		14 / 103	00	56	20
		14 / 102	00	98	76
		174 / 14	00	29	09
		14 / 106	00	21	61
		14 / 104			
		40 (सरकारी भूमि)	00	68	23
		ख.नं. 40 में (सरकारी सड़क)	00	04	70
		42	01	96	83
		142 / 42			
		143 / 42			

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बिलिया (जारी...)	125 / 42 (सरकारी भूमि)			
		144 / 42			
		145 / 42			
		170 / 42			
		138 / 42			
		42 / 140			
		149 / 42			
		42 / 637			
		264 / 42			
		266 / 42			
		655 / 42			
		42 / 73 (सरकारी भूमि)	00	43	31
		47 (सरकारी भूमि)	00	02	10
		49	01	72	44
12	बडलीमाण्डा	28 (सरकारी भूमि)	00	03	62
		25 / 151 (सरकारी भूमि)	00	32	37
		44 (सरकारी भूमि)	00	06	51
13	नाथूसर	365 / 2	00	15	52
		361 / 2	00	24	74
		164 (सरकारी भूमि)	00	06	10
14	ऊजलां	51	00	04	97
		50	00	04	76
		292 / 49	00	10	56
		295 / 49			
		56	00	02	36
		57 (सरकारी भूमि)	00	10	73
15	मेहतावगढ़	349 / 229	00	08	00
		338 / 230	00	02	57
		230	00	02	20
		235	00	05	70
		235 / 1	00	00	40

[फा. सं. आर- 11025/1/2019-ओआर-1/ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

S.O. 1224(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 4527(E) Dated 08th December 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 14th December 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Water from Nachana to Pachpadra Refinery by HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 21st December 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL : POKARAN			DISTRICT : JAISALMER		
			STATE : RAJASTHAN		
1	CHANDSAR	29	00	08	82
		30/135	00	16	85
		30	00	00	40
		85 (G/L)	00	08	88
		94/125 (G/L)	00	01	80
2	NAYA NAVTALA	5	00	02	82
		714/5	00	00	60
		670/5	00	01	50
		724/5	00	09	57
		6	00	69	92
		704/6	00	82	13
		In Khasra No. 704/6 (G/L- Sadak)	00	02	79
		725/7	00	00	40

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
	NAYA NAVTALA (Contd...)	705/7	00	57	64
		272/7	00	99	78
3	BARDANA	14	00	02	49
		167/35	00	41	08
		75 (G/L)	00	07	66
4	PADAMSAGAR	78 (G/L)	00	94	36
		In Khasra No. 78 (G/L Road)	00	07	48
		208/78	00	05	26
		264/78	01	58	94
		234/78	00	01	52
5	MALKAN	93/61	00	01	00
		61/75	00	25	65
6	MAVA	6 (G/L)	00	04	91
		9/400	00	57	64
		8	00	27	18
		37/3	00	03	20
		671/38	00	67	40
		672/38	00	51	19
		622/53	00	15	82
		627/53			
		623/53	00	30	92
		624/53	00	35	48
		52 (G/L)	00	21	34
		55/502	00	72	41
		55	00	85	97
		227 (G/L)	01	27	79
		226/323	01	59	68
		226/324	00	91	47
		In Bet.Khasra No.226/324 & 226/325 (G/L Rasta)	00	01	18
		226/325	00	70	69
		277 (G/L Road)	00	14	57
		669/276	00	52	22
		667/276	00	02	54
		670/276	00	33	01
		276/397	00	35	72
		616/276	00	35	42

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
	MAVA (Contd...)	278	00	22	92
		282	00	21	58
		276	00	01	00
		283	00	63	37
		285 (G/L Road)	00	01	24
		286/1	00	28	74
		286/2	00	21	46
		286/3	00	31	49
		286/4	00	17	37
		288 (G/L Road)	00	02	71
		287 (G/L Road)	00	02	07
		289	01	28	95
		289/1			
		298 (G/L – SH-40)	00	03	97
		261/1	00	89	89
		299/2	00	34	38
		299/589	00	04	92
		300/591	00	91	49
		300/590	00	11	87
		300	00	02	79
7	LOHARKI	262/55	00	43	83
		56	00	73	05
		39/7	00	25	00
		39/1			
		57 (G/L)	02	74	69
		171	00	22	61
		167	00	63	40
		158	03	22	60
		823/140	02	48	91
		266/140	01	05	49
8	RAMDEVRA	564/497	06	22	41
		197/4	00	24	53
		206 (G/L)	00	33	94
		206/285 (G/L)			
9	GOMAT	70 (G/L)	00	64	41
		218/70	00	10	33

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
	GOMAT (Contd...)	537/70	00	14	06
		126	00	18	89
		125	00	23	23
		201/119 (G/L)	00	09	09
		94	00	14	61
		195/94			
		113 (G/L)	00	03	97
		95	00	21	36
		196/95			
		197/98	03	14	09
		98	00	00	60
		98/1	00	00	40
		208/99	00	10	03
10	POKARAN	12114/31	00	89	94
		10516/31			
		31	00	01	83
		2140/31	00	41	48
		31/7	00	97	68
		1182	00	56	98
		1722/1195	00	94	63
		2070/1182	00	59	72
		2107/1195	00	57	18
		2814/1195	00	07	21
		1419/1194	00	32	99
		1886/1195	01	51	32
		1192 (G/L)	00	02	54
		1598/1283	00	70	02
		2454/1283	00	50	19
		1437/1283	00	82	79
		1282 (G/L)	01	10	79
		5842/1281	00	54	40
		2808/1281	00	05	05
		2950/1281	01	37	12
		1543/1281			
		1679/1281	00	64	17
		1626/1280	00	70	80

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
	POKARAN (Contd...)	1929/1280	03	00	00
		1930/1280			
		1953/1280			
		7981/1280	00	34	02
11	BILIYA	14/100	00	04	00
		14/131	00	58	34
		14	00	69	27
		14/103	00	56	20
		14/102	00	98	76
		174/14	00	29	09
		14/106	00	21	61
		14/104			
		40 (G/L)	00	68	23
		In Khasra No. 40 (G/L Asphalted Road)	00	04	70
		42	01	96	83
		142/42			
		143/42			
		125/42 (G/L)			
		144/42			
		145/42			
		170/42			
		138/42			
		42/140			
		149/42			
		42/637			
		264/42			
		266/42			
		655/42			
		42/73(G/L)	00	43	31
		47(G/L)	00	02	10
		49	01	72	44
12	BADALIMANDA	28 (GL)	00	03	62
		25/151 (GL)	00	32	37
		44 (GL)	00	06	51
13	NATHUSAR	365/2	00	15	52
		361/2	00	24	74

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
	NATHUSAR (Contd...)	164/(G/L)	00	06	10
14	UJALAN	51	00	04	97
		50	00	04	76
		292/49	00	10	56
		295/49			
		56	00	02	36
		57 (G/L)	00	10	73
15	MEHTABGARH	349/229	00	08	00
		338/230	00	02	57
		230	00	02	20
		235	00	05	70
		235/1	00	00	40

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I E-31849]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.